झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 07 फाल्गुन, 1945 [श0] / 26 फरवरी, 2024 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
01–	अ0सू0– 03	श्री बिरंची नारायण	नियुक्ति करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	18.02.2024
# 02–	अ0सू0– 06	श्री लोबिन हेम्ब्रम	जनजातीय भाषा को लागू करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	19.02.2024
03–	अ0सू0– 12	श्री समीर कुमार मोहन्ती	वाहन उपलब्ध कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	20.02.2024
04–	अ0सू0– 08	श्री अनन्त कुमार ओझा	नियोजन नीति लागू करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	19.02.2024
05–	अ0सू0– 09	श्री विकास कुमार मुण्डा	प्रमाण–पत्र निर्गत करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	19.02.2024
06–	अ0सू0– 02	सुश्री अम्बा प्रसाद	आरक्षण रोस्टर लागू करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	18.02.2024
07–	अ0सू0– 25	श्री प्रदीप यादव	कार्ययोजना बनाना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	21.02.2024

#- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक– 1271, दिनांक–21.02.24 के द्वारा स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
*- 08—	अ0सू0— 17	श्री राजेश कच्छप	संशोधित विज्ञापन जारी करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	20.02.2024
09—	अ0सू0— 11	श्री सरयू राय	कर्ज लौटाना।	वित्त	20.02.2024
10—	अ0सू0— 07	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	आयु सीमा में छुट देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	19.02.2024
11—	अ0सू0— 13	श्री सरयू राय	दोषियों पर कार्रवाई।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	20.02.2024
12—	अ0सू0— 04	श्री बिरंची नारायण	प्राथमिकी दर्ज करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	18.02.2024
13—	अ0सू0— 28	श्रीमती पुष्पा देवी	प्रमाण—पत्र निर्गत करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	21.02.2024
14—	अ0सू0— 20	श्री किशुन कुमार दास	सूची में दर्ज करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	21.02.2024
'क'15—	अ0सू0— 27	श्री सुदेश कुमार महतो	अनियमितता की जाँच।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	21.02.2024
16—	अ0सू0— 18	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	अधियाचना भेजना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	21.02.2024
'ख'17—	अ0सू0— 23	श्री प्रदीप यादव	ठोस पहल करना।	वित्त	21.02.2024
18—	अ0सू0— 15	श्री राजेश कच्छप	नियोजन नीति बनाना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	20.02.2024
19—	अ0सू0— 01	श्री विनोद कुमार सिंह	कड़ी सजा देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	18.02.2024
20—	अ0सू0— 16	श्री रामचन्द्र सिंह	अनुसूचित जाति का दर्जा देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	20.02.2024
21—	अ0सू0—26	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	समतुल्य भत्ता देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	21.02.2024
22—	अ0सू0— 05	श्री अनन्त कुमार ओझा	जाति प्रमाण—पत्र निर्गत करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	19.02.2024

*—कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक— 1288, दिनांक— 21.02.24 के द्वारा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में स्थानांतरित।

'क'—कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक— 1319,दिनांक— 22.02.24 के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित।

'ख'—वित्त विभाग के ज्ञापांक— 506/वि0, दिनांक— 22.02.24 के द्वारा उद्योग विभाग में स्थानांतरित।

कृ0पृ0उ0—

01.	02.	03.	04.	05.	06
'ग'—	23—	अ0सू0— 19 श्री किशुन कुमार दास	प्रोन्नति देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	21.02.2024
'घ'—	24—	अ0सू0— 14 श्री समीर कुमार मोहन्ती	M.A.C.P का लाभ देना।	वित्त	20.02.2024
	25—	अ0सू0— 21 श्री मनीष जायसवाल	पदस्थापन करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	21.02.2024
	26—	अ0सू0— 10 श्री भूषण तिर्की	वित्तीय लाभ देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	21.02.2024
	27—	अ0सू0— 22 श्री लोबिन हेम्ब्रम	परीक्षा परिणाम जारी करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	21.02.2024
	28—	अ0सू0— 24 श्री मनीष जायसवाल	नियमावली बनाना।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी	21.02.2024

'ग'— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक— 1289, दिनांक— 21.02.24 के द्वारा जल संसाधन विभाग में स्थानांतरित।

'घ'—वित्त विभाग के ज्ञापांक— 504/वि0, दिनांक— 22.02.24 के द्वारा स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

राँची,
दिनांक— 26 फरवरी, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— झा0 वि0 स0 प्रश्न— 02/2020.....2896...../वि0स0, रांची, दिनांक—24/02

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

24/02/2024

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या— झा0 वि0 स0 प्रश्न— 02/2020.....2896...../वि0स0, रांची, दिनांक—24/02/24

प्रतिः— मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

24/02/2024

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— झा0 वि0 स0 प्रश्न— 02/2020.....2896...../वि0स0, रांची, दिनांक—24/02/24

प्रतिः— कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा, प्रश्न शाखा के संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/02/2024

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

सुभाष

(01)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं० अ०सू० 03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या–4,66,494 है, इसके विरूद्ध मात्र 1,79,365 (38.44%) पदों पर ही कर्मी कार्यरत है, और शेष 2,87,129 पद खाली पड़े हुए हैं, जिसका प्रतिकूल असर राज्य के कार्यों पर पड़ रहा है, जिससे राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। सभी विभागों के अंतर्गत विभिन्न सेवा संवर्गों के तहत स्वीकृत बलों के विरूद्ध अद्यतन रिक्ति के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त क्रम में विभिन्न विभागों से प्राप्त 46,835 रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु अधियाचनाएँ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 22 विज्ञापनों के माध्यम से कुल 45,587 पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किये जा चुके हैं, जिसमें स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचनाएँ भी सम्मिलित है। स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। इसी प्रकार झारखण्ड लोक सेवा आयोग के स्तर से 5000 से अधिक पदों पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभागों के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।
2.	क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार में सबसे अधिक रिक्त पद प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सवा लाख से अधिक और स्वास्थ्य एवं गृह विभाग में है, जहाँ 2 लाख से अधिक पद रिक्त है, और इसी कारण राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और विधि–व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से चरमराई हुई है, क्योंकि सरकार पिछले 4 वर्षों में नियमानुसार निर्धारित संख्या में राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्तियाँ करने में विफल रही है ;	
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित और राज्य के बेरोजगारों के कल्याणार्थ इसी वित्तीय वर्ष में उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :–11/वि०स०–06–02/2024 का०.....1411...../राँची दिनांक :– 25/02/,2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2609 दिनांक 18.02.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अमर कुमार, संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/2024

सरकार के उप सचिव

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जानेवाले (03)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०स०–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अधिकत्तर थानों में पुलिस वाहन उपलब्ध नहीं है, कुछ थाना दशकों पुरानी जीप के भरोसे चल रहे है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पुलिस वाहन के न होने के कारण विधि व्यवस्था प्रभावित होती है;	अस्वीकारात्मक। राज्य के सभी थानों में पुलिस वाहन उपलब्ध है। कुछ थानों में पुरानी वाहन उपलब्ध है, जिनका ससमय मरम्मति कर विधि व्यवस्था संधारण का कार्य किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार थानाओं का सर्वे कर वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के विभिन्न थानों में विधि व्यवस्था एवं पेट्रोलिंग को सुदृढ़ करने हेतु वाहन क्रय का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–01 / 2024–1127 राँची, दिनांक– 25/02/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2710, दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

(04)

माननीय स०वि०स० श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–08 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्यन्तर्गत विभिन्न विभागों में स्वीकृत पद 4,66,494 पदों के विरूद्ध मात्र 38.44 प्रतिशत पर ही कर्मचारी एवं पदाधिकारी कार्यरत है, जिस कारण 2,87,129 पद रिक्त पड़े हुए है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गृह विभाग में अधिकतर पद रिक्त है;	विभागीय पत्रांक–1284 दिनांक–21.02.2024 के द्वारा संबंधित प्राधिकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक–7002, दिनांक–15.12.2023 के द्वारा सभी विभागों/प्राधिकारों से वर्ष 2020 से लेकर अबतक के विभिन्न संवर्गो में संविदा/अनुबंध/आउटसोर्सिंग कार्यरत कर्मियों की संख्या की मांग की गई है;	**स्वीकारात्मक।** पुनः विभागीय पत्रांक–1284 दिनांक–21.02.2024 के द्वारा इस संबंध में अद्यतन स्थिति की सूचना संबंधित प्राधिकारों से प्राप्त की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (2) में वर्णित 10 वर्षों से सेवा देने वाले सभी विभागों यथा प्रखण्ड स्तरीय मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक के कर्मियों की सेवा नियिमित करने के लिए वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार संबंधी वाद में संसूचित न्यायनिर्णय के आलोक में राज्यान्तर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु शर्त्त एवं प्रक्रिया का निरूपण, कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या–1348 दिनांक–13.02.2015 के द्वारा 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' के रूप में किया गया है। उक्त नियमावली में 10 वर्षों की लगातार सेवा की गणना हेतु निर्धारित कट–ऑफ–डेट (10.04.2006) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलवाद Civil Appeal No.-7423-7429/2018 [arising out of S.L.P. (Civil) No.-19832-19838/2017] नरेन्द्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–01.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' में निर्धारित कट–ऑफ–डेट एवं सेवा नियमितीकरण हेतु निर्धारित समय–सीमा में विभागीय अधिसूचना संख्या–4871 दिनांक–20.06.2019 के द्वारा संशोधन करते हुए 10 वर्षों की लगातार सेवा की गणना नई अधिसूचना के निर्गत की तिथि अर्थात दिनांक–20.06.2019 निर्धारित किया गया है। सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में संबंधित विभागों के द्वारा स्थायी स्वीकृत पदों के विरूद्ध अनियमित रूप से नियुक्त एवं दिनांक–20.06.2019 तक लगातार 10 वर्षों तक कार्यरत योग्य कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई की जा रही है। उपर्युक्त नियमावली में अंकित प्रावधान से इतर आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करने के संबंध में राज्य सरकार अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्ष 2020 से अबतक खण्ड (1) में वर्णित स्वीकृत पदो के विरूद्ध कितने स्थायी पदों पर नियोजन किया जा चुका है तथा (2) में वर्णित कितने कर्मी आउट सोर्सिंग माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत है तथा उनके स्थायी समायोजन करने हेतू अविलम्ब समुचित उपाय करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नही तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–02/2024 का०– 1396 राँची, दिनांक– 23·02·24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–2661 दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/2024
(आसिफ हसन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(05)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0स0–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नियमानुसार जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र आवेदन किए जाने के 30 दिनों के अंदर बनाया जाना अनिवार्य है;	झारखण्ड राज्य सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 अंतर्गत जाति/स्थानीय निवासी/आय प्रमाण पत्र की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम समय सीमा 30 कार्य दिवस निर्धारित है।
2.	क्या यह बात सही है कि कई जन शिकायते आती है की निर्धारित समय के अंदर उक्त प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाते है और ऐसे मामलों में कई प्रकार की अनियमितता भी बरती जाती है, जैसे की आवेदन संख्या JHIC/2024/280616 आवेदन की तिथि 26/01/2024, JHCBC/2023/483119 आवेदन की तिथि 30/11/2023, JHCBC/2024/45467 आवेदन की तिथि 19/01/2024, JHIC/2024/200655, आवेदन की तिथि 19/01/24 और आवेदन संख्या JHIC/2024/38456, आवेदन की तिथि 19/01/24 इन आवेदनों का निष्पादन नहीं हो पाया है;	झारखण्ड राज्य सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत कार्य निष्पादित नहीं हो पाने की स्थिति में प्रथम अपीलीय प्राधिकार एवं तत्पश्चात् द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किए जाने का प्रावधान है।
3.	क्या यह बात सही है कि वैसे आवेदन जिनका निष्पादन निर्धारित सीमा के अंदर नहीं हो पाते हैं उनपर अधिकारियों द्वारा स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता और वैसे आवेदकों को आवेदन करने के बावजूद स्वयं परेशान होना पड़ता है;	कार्य का निष्पादन निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदकों के स्तर से अपील दायर करने किया जाना अपेक्षित है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–1774, दिनांक–09.03.2018 के द्वारा सभी उपायुक्तों को जिलान्तर्गत निर्गत होने वाले प्रमाण पत्रों यथा–जाति/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आदि से संबंधित दायर आवेदनों की लगातार समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के निष्पादन हेतु निर्धारित समयावधि का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने एवं विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश संसूचित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र को एक निश्चित समय के अंदर जारी करने हेतु और अगर जारी नहीं किया जाए तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध स्वतः स्पष्टीकरण जारी करने संबंधी आदेश पारित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 16/वि0स0प्र0–08–01/2024 का0 1399 / राँची दिनांक 23/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञाप सं0–2663 वि0स0, दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. नोडल पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/02/2024

(सुनील कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

06

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण में कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य है;	जिला स्तरीय पदों के संदर्भ में स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार लगभग 55% ओबीसी समुदाय के लोग निवास करते है;	इस संबंध में कोई संपुष्ट आंकड़ा विभाग को उपलब्ध नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य ने जातीय जनगणना कराकर ओबीसी समुदाय को 43% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि जातीय जनगणना नहीं होने से झारखण्ड में 55% ओबीसी आबादी को मात्र 14%आरक्षण प्राप्त है;	अंशतः स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वयं से जातीय जनगणना कराते हुए राजस्तर के साथ–साथ जिलेवार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–335 दिनांक–24.02.2024 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार "बिहार सरकार के तर्ज पर "जातिगत जनगणना" संबंधी कार्य कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्तर से कराये जाने हेतु कार्यपालिका नियमावली में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जहां तक ओ0बी0सी0 आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करने का प्रश्न है। आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि से संबंधित "**झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022**" झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.11.2022 को पारित किया गया है। सम्प्रति अग्रतर विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–02 / 2024 का0– 1407 / रांची, दिनांक 25/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–2608, दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.24

(संजय कुमार रजक)
सरकार के उप सचिव।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में साईबर अपराध पर रोक लगाने में पुलिस एवं अन्य एजेंसियों को अभी तक पूर्ण सफलता नहीं मिली है; ;	अस्वीकारात्मक। (क) झारखण्ड राज्य में वर्तमान में राज्य के Hotspot जिला जैसे जामताड़ा, गिरीडीह, देवघर, जमशेदपुर, पलामु, दुमका एवं राँची में 07 साईबर थाना कार्यरत है। (ख) गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार का अधिसूचना, दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से 08 जिला राँची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा एवं सरायकेला खरसाँवा में साईबर थाना का सृजन किया गया है। (ग) अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड पुलिस द्वारा Pratibimb Web Portal को बनाया गया है, जिसके माध्यम से साईबर ठगी में इस्तेमाल किये जाने वाले मोबाईल नंबरों का Live Monitoring कर दिसम्बर 2023 से अब तक 678 साईबर अपराधकर्मी को गिरफतार, 1608 मोबाईल, 2432 सीम जप्त किया गया है, जिससे न केवल झारखण्ड राज्य बल्कि अन्य राज्यो के काण्डों का उदभेदन किया गया है। (घ) National Cyber Crime Reporting Portal अन्तर्गत साईबर हेल्पलाईन नं 1930 के माध्यम से अब तक कुल 18914 शिकायत दर्ज हुआ है। इसके अन्तर्गत कुल 8,42,81,000 (आठ करोड बयालिस लाख इक्कासी हजार) रुपया फ्रिज किया गया है। साथ ही Blocking Module के माध्यम से कुल 10943 मोबाईल एवं 1394 IMEI को Block किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 तक कुल 2674 केस का अनुसंधान एवं 80–2% प्रतिशत चार्जशीट लंबित रहने के कारण साईबर अपराधियों को जल्द सजा नहीं मिल पा रही है;	अस्वीकारात्मक। (क) वर्ष 2022 एवं 2023 साईबर अपराध के काण्डों में से कुल 13 काण्डों में कुल 23 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सजा दिया जा चुका है। (ख) साईबर अपराध थाना देवघर काण्ड संख्या 26/2020, दिनांक–15.05.2020, धारा 419/420/467/468/471/120बी भा.द.वि. एवं 66 बी/66सी/66डी. आई.टी एक्ट में अभियुक्तों को 10 वर्ष तक की सजा मिला है। (ग) साईबर अपराध के काण्डों में पीड़ित अन्य राज्यों में होते हैं। इसके अलावा फर्जी सीम कार्ड एवं फर्जी बैंक खाताओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो विभिन्न राज्यों के होते हैं, जिनका माननीय न्यायालय में आकर विचारण के दौरान ब्यान दर्ज कराने में बिलंब होने से विचारण में विलंब होता है।
3	यदि यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साईबर अपराधियों पर रोक लगाने एवं अपराधियों को जल्द सजा दिलाने हेतु कोई "ठोस कार्य योजना" पर विचार करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य द्वारा साईबर अपराध की रोकथाम हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर WP(P.I.L) No.-3328 of 2018 Manoj kumar Rai बनाम झारखण्ड राज्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में समर्पित किया गया है, जिसमें रोकथाम हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्य योजना तैयार कर उसपर कार्यवाही

		की जा रही है:– 1- Proposal for spreading awareness among the masses regarding modus of cyber crime and methods being adopted 2- Improvising the telecom ecosystem 3- Proposal to address the menace of bogus/ fake SIM Cards 4-Improvising the banking/Financial ecosystem 5-Mechanism for quick and easy registration of cases and quick freezing of fraudulent transactions 6- Establishment of Jharkhand State Cyber Crime Coordination Centre (JS4C) 7- Speedy and effective investigation including training of Investigators, Prosecutors and Magistrates 8- Monitoring of professional criminals, Trials and convictions 10- Mechanism of Freezing and Return of lost money to victim 11- Legal and Administrative support.

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09 / वि०स०(10)–01 / 2024– 1159 / राँची, दिनांक– 25/02/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2783, दिनांक–21.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

09

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–11 का उत्तर।

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार पर सम्प्रति करीब 1.14 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसमें से कई प्रकार के कर्ज काफी उँचे ब्याज दर पर दिये गये हैं ?	महालेखाकार, झारखण्ड के वित्तीय वर्ष 2022–23 के Finance Account के खण्ड–I के उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरणी–6 के अनुसार 31.03.2023 तक राज्य सरकार का कुल ऋण 84,944.00 करोड़ रुपये है, इसमें झारखण्ड गठन के पूर्व का ऋण रुपये 5,962.00 करोड़ भी सम्मिलित है। लोक लेखा खाता (Public Account) में 31.03.2023 तक अन्य दायित्व 33,504.00 करोड़ रुपये हैं। महालेखाकार, झारखण्ड के दिसम्बर, 2023 के सिविल खाते के अनुसार विभिन्न एजेंसियों से नकद शुद्ध आहरण रुपये 383.00 करोड़ है तथा लोक लेखा (Public Account) के शुद्ध दायित्व 2,290.00 करोड़ रुपये हैं। इस तरह, सम्प्रति राज्य सरकार पर 85,327.00 करोड़ रुपये का ऋण है। लोक लेखा का अद्यतन अन्य दायित्व 35,794.00 करोड़ रुपये है। उपरोक्त नकद ऋण रुपये 85,327.00 करोड़ में NSSF (National Small Saving Fund) को देय ब्याज की दर 9 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच के है। बंध पत्र (UDAY Bond) का ब्याज दर 8 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के बीच के है। शेष सभी ऋण लगभग 8 प्रतिशत ब्याज के हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020–21 में राज्य पर कर्ज का भार राजस्व आय का करीब 11 प्रतिशत हो गया, जो राजस्व–ब्याज वहनीयता (Sustainability) अनुपात से अधिक है ?	वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व आय रुपये 56,149.72 करोड़ है एवं ब्याज भुगतान रुपये 5,790.47 करोड़ है जो राजस्व आय का 10.3 प्रतिशत है न कि 11 प्रतिशत। यह वर्ष COVID–19 से प्रभावित था।
3.	क्या यह बात सही है कि जी०एस०टी० मुआवजा के रूप में भारत सरकार ने झारखण्ड को 50 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि तक के लिए एक बड़ी कर्ज राशि बिना ब्याज के दिया है ?	भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment के तहत् वर्ष 2021–22 से ऋण प्राप्त हो रहे हैं। यह ऋण एक वित्तीय वर्ष में पूर्ण व्यय के शर्त्त पर चिन्हित स्कीम में पूँजीगत संरचना के विकास के लिए दिया जा रहा है। यह जी०एस०टी० मुआवजा का ऋण नहीं है। जी०एस०टी० मुआवजा जून, 2022 से समाप्त हो चुका है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि किस–किस अवधि में, किन कारणों से और किन संस्थानों से सरकार ने अधिक ब्याज दर पर कर्ज लिया और क्या राज्य सरकार केन्द्र से बिना ब्याज के मिले जी०एस०टी० मुआवजा राशि के दीर्घकालीन कर्ज से अधिक ब्याज पर पूर्व में लिये गये कर्ज को लौटाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य द्वारा विकास के लिए ऋण लिए जाते हैं, राज्य सरकार मुख्य रूप से खुले बाजार (OMB) (Open Market Borrowing), NABARD, HUDCO, NCDC (National Co-operative Development Corporation) REC (Rural Electrification Corporation) NHB (National Housing Bank) से ऋण लेती है। पूर्व में NSSF (National Small Saving Fund) से भारत सरकार द्वारा ऋण दिया जाता था। राज्य सरकार द्वारा NSSF से ऋण लेना बन्द कर दिया गया है। पूर्व में लिए गये NSSF ऋण का केवल भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार एवं बाह्य एजेंसी ADB (Asisan Development Bank) JICA (Japan International Co-opration Agency) World Bank आदि से ऋण प्राप्त किया जाता है। जहाँ तक जी०एस०टी० मुआवजा राशि के दीर्घकालीन कर्ज से अधिक ब्याज पर पूर्व में लिए गये ऋण को लौटाने का प्रश्न है, इस संबंध में कहना है कि जी०एस०टी० मुआवजा प्राप्त करने की अंतिम तिथि जून, 2022 थी। भारत सरकार से 50 वर्षों के लिए ब्याज रहित ऋण चिन्हित स्कीम के लिए ही दी जाती है। इस ऋण से उच्च ब्याज वाले ऋण की भरपायी नहीं की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार अपने संसाधनों से उच्च ब्याज दर वाले ऋणों का भुगतान कर रही है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : 08 / विधि को०(7)–03 / 2024 / 198 राँची, दिनांक : 24-02-2024

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञांप सं० प्र०–2711 / वि०स०, दिनांक–20.02.2024 के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2024

(सत्य नारायण प्रसाद)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

(10)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं० अ०सू०–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में दो वर्ष में एक भी नियुक्ति प्रक्रिया का आयोजन नहीं किया जा सका था ;	राज्यान्तर्गत किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु गठित संबंधित नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावलियों में वर्णित प्रावधानों के आलोक में उम्र सीमा की गणना हेतु कट–ऑफ डेट सामान्यतया अधियाचना वर्ष की पहली अगस्त निर्धारित की जाती है। अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करने हेतु विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गये हैं :– 1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं0 1673 दिनांक 20.03.2023 के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2023 में प्रकाशित किये जाने वाले सभी विज्ञापनों से आच्छादित पदों के लिए अभ्यर्थियों के अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु 04 (चार) वर्ष की छूट अर्थात संदर्भ तिथि 01.08.2019 निर्धारित की गई है। 2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0 506 दिनांक 25.01.2024 द्वारा झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु क्रमशः 01.08.2017 एवं दिनांक 01.08.2024 कट–ऑफ तिथि निर्धारित की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित कालखण्ड में जिन युवाओं की नियोजन हेतु वांछित आयु सीमा समाप्त हो गई, जिससे हजारों योग्य युवा नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हो गए है ;	
3.	क्या यह बात सही है कि हाल ही में केन्द्रीय बलों में हुई भर्तियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस भर्ती में EWS एवं सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गो को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लेकर प्रक्रिया की जा रही है ;	
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोरोना काल के कारण नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हो चुके सभी वर्गों के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं में अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर वर्णित कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :–11/वि०स०–06–04/2024 का० 1398 /राँची दिनांक :– 23/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० 2662 दिनांक 19.02.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अमर कुमार, संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/2024

सरकार के उप सचिव

(11)

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार में विभागीय सचिव का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पद है, जिसका पदस्थापन, स्थानान्तरण एवं अतिरिक्त प्रभार देने की अधिसूचना मुख्यमंत्री/मंत्रिपरिषद के निर्णयानुसार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी होती है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के अनुसार विभागीय पदस्थापनों का आदेश विभागीय मंत्री नहीं बल्कि विभाग के उप सचिव से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है, परन्तु मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ने ज्ञापांक–28/गो0, दिनांक 16.01.2024 द्वारा विभाग के एक अधिकारी को विभागीय सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार देने की अधिसूचना अपने लेटरपैड पर स्वयं जारी कर दिया है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रदत्त आदेश के क्रम में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव द्वारा कार्यालय आदेश संख्या–16(1) दिनांक 17.01.2024 द्वारा वित्तीय एवं नीतिगत मामला छोड़कर कार्यकारी व्यवस्था के तहत कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया।
3	क्या यह बात सही है कि मंत्री का यह कृत्य नियम विरूद्ध है और मंत्रिपरिषद/मुख्यमंत्री के सामूहिक अधिकार का उल्लंघन है।	विषयगत मामले के संज्ञान में आने पर दिनांक 18.01.2024 को सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक आहूत की गयी तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रधान सचिव के पद पर पदस्थापन संबंधी अधिसूचना दिनांक 18.01.2024 को निर्गत की गयी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियम का उल्लंघन करने के लिए दोषियों पर कार्रवाई किया है एवं उनसे स्पष्टीकरण पूछा है, हाँ, तो कब, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–1/वि0स0–1103/2024 का०–1368/राँची, दिनांक 23/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2709 दिनांक 20.02.2024 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. नोडल पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/2/24
(विनोद कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(12)

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0–04 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि खनन घोटाले से लेकर मनरेगा, जमीन के मामले और ग्रामीण विकास में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार से संबंधित दर्जनों मामलों की विस्तृत जाँच, जिसमें राज्य में मनी लांड्रिंग के साक्ष्य मिलें है, और करोड़ों रूपये नगद एवं हथियार–कारतूस और अन्य सामग्रियों तक छापेमारी के दरम्यान मिलें है, के मामलों पर अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है;	प्रश्न किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है। इस संबंध में सभी जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार ऐसा कोई मामला घटित नहीं है। ऐसा मामला प्रतिवेदित होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2	क्या यह बात सही है, कि मनी लांड्रिग की जाँच से जुड़े प्राधिकार प्रवर्त्तन निदेशालय ने भी उक्त मामलों में सरकार को 12 पत्र भेजें है, जिनपर अब तक कोई प्राथमिकी व कार्रवाई नहीं की गई है;	उपर्युक्त कण्डिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त मामलों की विस्तृत जाँच हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कण्डिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांक–05 / वि0स0–07 / 01 / 2024–.....1153..... / राँची, दिनांक 25 / 02 / 2024 ई0।

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2610, दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–20 का उत्तर प्रतिवेदन। (14)

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य में लोहड़िया जाति जिनकी संख्या राज्य में लगभग 4500 है जो वर्षो से पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करते आ रहे है;	इस संबंध में कोई संपुष्ट आंकड़ा विभाग को उपलब्ध नहीं है।
2	क्या यह बात सही है, कि लोहड़िया जाति बिहार सरकार कल्याण विभाग के वेलफेयर मैनुअल (गजट) के 1950 ई0 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज है जिसका क्रमांक–20 पर लोहड़िया अंकित है, जिसे सन् 1956 के संशोधित मैनुअल (गजट) लोहड़िया के स्थान पर लोहरा (Lohra)/ लोहारा (Lohara) अंकित कर दिया गया है जो टंकनीय भूल है;	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना से उत्तर सामग्री की मांग की गयी है।
3	क्या यह बात सही है, कि लोहड़िया जाति का रहन–सहन, रीति–रिवाज आदि भी अनुसूचित जनजाति में वर्णित जातियों की तरह है;	लोहड़िया जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने के बिन्दु पर डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। संस्थान के द्वारा सूचित किया गया है कि अध्ययन अभी प्रक्रियाधीन है।
4	क्या यह बात सही है, कि कई अंचलों में लोहड़िया जाति का अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र बनाया जा रहा है एवं कई अंचलों में खण्ड–2 में वर्णित तथ्य टंकनीय भूल के कारण अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र नहीं बनाया जा रहा है जिसके कारण वर्णित जाति मूलभूत सुविधा से अब तक वंचित है, साथ ही वर्णित जाति को बिहार सरकार में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है;	विभागीय परिपत्र सं0 1754, दिनांक 25.02.2019 एवं अन्य अनुषंगी परिपत्रों के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत अनुदेश निर्गत है जिसके आलोक में झारखण्ड राज्य हेतु अनुसूचित जनजाति/जाति सूची में सूचीबद्ध जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सन् 1956 के गजट में संशोधन करते हुए झारखण्ड गजट में लोहड़िया जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची दर्ज कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–06/2024 का0–1105/रांची, दिनांक 25/02/2024

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–2758, दिनांक–21.02.2024 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.24

(संजय कुमार रजक)
सरकार के उप सचिव।

15

श्री सुदेश कुमार महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–27 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गृह रक्षा वाहिनी, बोकारो की मेधा सूची जिला प्रशासन बोकारो के द्वारा दिनांक– 01.01.2024 को जारी की गयी थी ?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गृह रक्षा वाहिनी, बोकारो की मेधा सूची जो शारीरिक दक्षता के आधार पर जारी करने का प्रावधान था तथा तकनीकी दक्षता परीक्षा मात्र क्वालीफाइंग था ?	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि मेधा सूची में वैसे अभ्यार्थियों का भी चयन किया गया है तथा नाम अंकित है, जो पूर्ण रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल थे ?	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोकारो जिला के गृह रक्षकों की बहाली प्रक्रिया को यथाशीघ्र रद्द करने तथा इसमें बरती गयी अनियमितता की जाँच करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयं सेवक) नियमावली, 2014 के पारा–04 (I) में उल्लेखित है कि गृह रक्षकों का नामांकन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति द्वारा होती है। समिति के सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक एवं जिला समादेष्टा होते हैं। समिति के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया की जाती है। यह नवनामंकन प्रक्रियाधीन है। नवनामांकन में अनियमितता संबंधित कई आरोप पत्र प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में नवनामांकन समिति के उपायुक्त–सह–अध्यक्ष को अनियमितता की जाँच करने हेतु पत्र प्रेषित की गयी है। जाँच में अनियमितता पाये जाने पर उक्त के अनुरूप विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक – 07 / वि०स०(अ०सू०प्र०)–03 / 2024– 1158 **/ राँची, दिनांक–** 25 / 02 **/ 2024 ई०।**

प्रतिलिपि :–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2780 / वि०स०, दिनांक–21.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

(16)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–18 का उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–12/2022 द्वारा कुल–452 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा–2022 का आयोजन कर आहर्त्ता प्राप्त आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में उल्लेखित विज्ञापन के आलोक में दिनांक–14.12.2022 से दिनांक–18.12.2022 तक धनबाद, राँची, बोकारो, पलामू तथा देवघर जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थियों का कौशल जाँच परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त उक्त नियुक्ति परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया था;	स्वीकारात्मक। W.P(S) No-3894/2021 रमेश हाँसदा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा दिनांक–16.12.2022 को पारित अंतिम न्यायादेश (To initiate a fresh process of selection) के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पत्रांक–138, दिनांक–06.02.2023 द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अंतर्गत आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग को प्रेषित अधियाचना विभाग को वापस की गई है।
3.	क्या यह बात सही है, कि आशुलिपिक परीक्षा के रद्द होने तथा काफी लंबे समय से विज्ञापन का पुनः प्रकाशन नहीं होने के कारण परीक्षा की तैयारी कर रहे आहर्त्ता प्राप्त अभ्यर्थियों को उम्र समय सीमा समाप्त होने सहित अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	वर्त्तमान में झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की पुनः समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरांत आशुलिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को प्रेषित की जा सकेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में आशुलिपिक के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति हेतु J.S.S.C. को झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा–2024 का आयोजन हेतु अधियाचना भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–12/वि0स0–11–01/2024 का0 1400 /राँची, दिनांक 23/02/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञाप सं0–2757वि0स0, दिनांक–21.02.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. नोडल पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/2/2024

(ब्रज माधव)
सरकार के उप सचिव।

(18)

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि भारत के संविधान की धारा–19(5) के तहत् Special Protection जनजातीय समुदाय एवं ABROZINALS के लिए प्रावधानित है;	अंशतः स्वीकारात्मक। विधि विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद–19(5) के तहत् Special Protection जनजातीय समुदाय (ST) के लिए या सामान्य जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रावधानित है।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित धारा के तहत् स्थानीय एवं नियोजन नीति नहीं बनने से बाहरी आगमन से यहाँ के TRIBALS & ABROZINALS के हक अधिकार एवं अस्तित्व खतरे में है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित धारा के आलोक में खण्ड–2 में वर्णित TRIBALS & ABROZINALS के हक अधिकार एवं अस्तित्व रक्षायें स्थानीय एवं नियोजन नीति बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.11.2022 को "झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022" पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्थानीयता संबंधी विधेयक माननीय राज्यपाल के संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु झारखण्ड विधान सभा को वापस की गई थी। उक्त विधेयक झारखण्ड विधान सभा से पुनः यथापारित होने के बाद आगे की विधायी प्रक्रिया की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–04 / 2024 का0–1406 / रांची, दिनांक 25/02/2024

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–2706, दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.24

(संजय कुमार रजक)
सरकार के उप सचिव।

(19)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं० अ०सू० 01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि जेएसएससी द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक हुआ है, जिससे परीक्षार्थियों को परेशानी हुई है, और परीक्षा की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है ;	स्वीकारात्मक । आयोग द्वारा झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 के अन्तर्गत 28.01.2024 को आयोजित परीक्षा के तृतीय पत्र के प्रश्न पत्र लीक होने के प्रमाण मिलने के कारण उक्त तिथि के तीनों पाली की परीक्षा को रद्द किया गया है तथा दिनांक 04.02.2024 को निर्धारित परीक्षा (तीनों पाली) को स्थगित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है, कि अबतक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है ;	संबंधित मामले में नामकुम थाना, रॉची अंतर्गत काण्ड संख्या–45/2024 दिनांक 29.01.2024 अन्तर्गत धारा 467/468/420/120B भारतीय दण्ड विधान, 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एव 12 झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के अधीन आयोग द्वारा प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। उक्त कांड की जाँच हेतु Special Investigation Team (SIT) का गठन किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 767/सा०शा० दिनांक 23.02.2024 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अबतक के अनुसंधान के क्रम में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार परीक्षा लेनेवाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति काण्ड अनुसंधान अंतर्गत है। अनुसंधान के फलाफल के आधार पर संबंधित व्यक्तियों एवं एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :–11/वि०स०–06–03/2024 का०1410/राँची दिनांक :– 25/02/,2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2607 दिनांक 18.02.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अमर कुमार, संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/2024

सरकार के उप सचिव

(20)

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–16 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड प्रदेश में भुईहर मुण्डा समुदाय के लोग लगभग–4 लाख की संख्या में गुमला, पलामू, गढ़वा, सिमडेगा जिला में कई पुस्तों से बसे हुए हैं;	इस संबंध में कोई संपुष्ट आंकड़ा विभाग को उपलब्ध नहीं है।
2	क्या यह बात सही है, कि भुईहर मुण्डा, "मुण्डा" समुदाय की उपजाति के अन्तर्गत आते है, इस संबंध में पूर्व बिहार सरकार कल्याण विभाग जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची के तत्कालीन (वर्त्तमान झारखण्ड) शोध पदाधिकारी श्री सोमा सिंह मुण्डा अपने मोनोग्राफिक सिरीज मुण्डा (1993 ई0) के द्वितीय अध्याय के द्वितीय परिच्छेद में स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि मुण्डा जनजाति 13 उपशाखाओं में विभक्त है जिसमें भुईहर भी एक है साथ ही इस संदर्भ में कई गजेटिया एवं लेखों में इस जाति का अनुसूचित जनजाति होने का उल्लेख है;	डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार "मुण्डा जनजाति 13 उप शाखाओं में विभक्त है, जिसमें भुईहर भी एक है।" वक्तव्य संस्थान द्वारा प्रकाशित उक्त मोनोग्राफ का भाग है एवं संस्थान इसकी पुष्टि करता है। "कई गजेटिया एवं लेखों में इस जाति का अनुसूचित जनजाति होने का उल्लेख है" वक्तव्य में गैजेट/लेख का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः संस्थान के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
3	क्या यह बात सही है कि डॉ० राम दयाल मुण्डा शोध संस्थान, राँची के निदेशक के पत्रांक–1512/दिनांक– 28.07.2023 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अवर सचिव को भुईहर मुण्डा को अनुसूचित जनजाति का दर्जा से संबंधित डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मानवशास्त्र विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के साथ पत्राचार भी किया गया परंतु अब तक उक्त संदर्भ में प्रकाशन से वंचित है;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2021 में भुईहर मुण्डा/भुईहर जाति को झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गई थी। भारत के महापंजीयक के कार्यालय के द्वारा उक्त अनुशंसा का समर्थन नहीं किए जाने के कारण इस संबंध में यदि कोई अतिरिक्त/सूचना/मंतव्य/ औचित्य हो तो उससे अवगत कराने का अनुरोध जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया गया है, जिसके आलोक में डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से प्रतिवेदन की मांग की गई है। संस्थान के द्वारा इस संबंध में अध्ययन किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भुईहर मुण्डा को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधित अग्रेतर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–3 से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–05/2024 का0–1390 /रांची, दिनांक 23/02/2024

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–2707, दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/24

(संजय कुमार रजक)
सरकार के उप सचिव।

(21)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०स०–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड पुलिस कर्मियों को मिलने वाले भोजन एवं वर्दी भत्ता का पुनरीक्षण समय समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि पुलिस कर्मियों के भोजन एवं वर्दी भत्ता को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित कर्मियों में बिहार राज्य के समतुल्य भोजन भत्ता तीन हजार पाँच सौ तथा वर्दी भत्ता दस हजार रुपए प्रतिवर्ष दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड पुलिस के पुलिस कर्मी को मिलने वाले विभिन्न भत्तों को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–02 / 2024–.....1133../ राँची, दिनांक– 25/02/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2784, दिनांक–21.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–05 का उत्तर प्रतिवेदन। (22)

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 23 और 24 के तहत् क्रमशः 5वीं0 और 6वी0 अनुसूची द्वारा संशोधित (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश, 1950 और संशोधन (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत् राजमहल अनुमण्डल कार्यालय से दिनांक–11.03.2019 को "हलधर चासठ जाति" के लोगों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराई गई है;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सरकार के उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–10915(अनु0) दिनांक–13.11.2014 के अंतर्गत बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से राज्य को प्राप्त छठी सूची के क्रमांक–18 पर किसान सूचीबद्ध है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 2002 के द्वारा नगेशिया को समावेशित किया गया है। अधिसूचना आदेश मे हलधर चाषठ जाति अंकित नहीं है, जिसके कारण राजमहल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत हलधर चाषठ जाति का अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित अधिनियम के आधार पर वर्त्तमान में "हलधर चासठ जाति" को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, जिससे उक्त जाति के लोग व सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है;	तदैव।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित अधिनियम व तथ्यों के आधार पर "हलधर चासठ जाति" के लोगों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराते हुए सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ व अवसर दिलाने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–03 / 2024 का0–1408 / रांची, दिनांक 25/02/2024

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–2664, दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.24

(संजय कुमार रजक)
सरकार के उप सचिव।

(23)

श्री किशुन कुमार दास, मा॰स॰वि॰स॰ द्वारा दिनांक 26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ॰सू॰ 19 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र॰	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है, जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कनीय अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया चल रही है ;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्र सं॰–पत्रांक–14 / कोर्ट–02–11 / 2022 का॰ 3463 दिनांक–03.06.2022 कंडिका–3 में अंकित किया गया है कि वरीयता सह पात्रता के प्रावधान के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान करने अथवा विचार करते समय मूल कोटि की वरीयता सूची में वरीयता क्रम में सामान्य वर्ग से उपर रहने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों को अनारक्षित रोस्टर बिन्दु पर प्रोन्नति अनुमान्य होगी ;	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त पत्र को दरकिनार कर सामान्य वर्ग के अभियंताओं को लाभ पहुँचाने हेतु विभाग में प्रोन्नति से संबंधित संचिका आदेश हेतु उपस्थापित की गई है ;	अस्वीकारात्मक। खण्ड–2 में वर्णित कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के पत्र सं॰–14 / कोर्ट–02–11 / 2022 का॰ 3463 दिनांक–03.06.2022 कंडिका–3 में अंकित प्रावधान के तहत् ही विभागान्तर्गत प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित पत्र के आलोक में अंकित प्रावधान के तहत् अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों को अनारक्षित रोस्टर क्लियर कर प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	यथा वर्णित उत्तर प्रतिवेदन खण्ड–03

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–06 / ज॰स॰वि॰–10–अ॰सू॰–02 / 2024 1024 / राँची, दिनांक :– 23.02.24

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–2759 दिनांक 21.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्र सं॰–1289 दिनांक–21.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / अवर सचिव, विधान सभा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/24

(विनय कुमार बरनवाल)
सरकार के अवर सचिव

D:\SONAL\SEC-2\Mahipal Sir\Bidhan Sabha\Kisun Kr. Das.doc

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–21 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में डीएसपी की कुल स्वीकृत पदों की अपेक्षा आधी से अधिक पद अबतक रिक्त है या प्रभार में संचालित है, जिसके कारण विगत 03 वर्षों से राज्य में अपराधिक घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है तथा अपराधी बेलगाम है जिसपर नियंत्रण लगाने में सरकार विफल हो चुकी है तथा राज्य में सैकड़ों महत्वपूर्ण अपराधिक घटनाओं की जाँच लम्बित है।	अस्वीकारात्मक राज्य में पुलिस उपाधीक्षक के स्वीकृत कुल–387 पदों के विरूद्ध 307 पुलिस उपाधीक्षक उपलब्ध है।
2.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में कुल 93 पुलिस निरीक्षकों को सरकार डीएसपी के पद पर प्रोन्नति देकर उक्त पुलिस पदाधिकारियों का पदस्थापन लम्बित रखी है जबकि सरकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को राज्य के कुल 96 डीएसपी का पदस्थापन/स्थानांतरण की गई परन्तु नवनियुक्त/प्रोन्नत डीएसपी का पदस्थापन नहीं की गई है।	आंशिक स्वीकारात्मक नवप्रोन्नत कुल–93 पुलिस उपाधीक्षकों में से कुल–15 पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जा चुका है एवं शेष पदाधिकारियों का पदस्थापन प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–02 में वर्णित नवनियुक्त/प्रोन्नत डीएसपी के पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक – 12/वि०स०–8001/2024.....1131.../ राँची, दिनांक-25/02/2024 ई०।

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2782/वि०स०, दिनांक–21.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(26)

श्री भूषण तिर्की, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०स०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के पुलिस कर्मियों को नियमानुसार प्रोन्नति देय होते हुए भी प्रोन्नति नहीं दी जा रही है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उन पुलिस कर्मियों को ए०सी०पी० के लाभ से भी वंचित रखा जा रहा है, जिससे पुलिस कर्मियों में असंतोष व्याप्त है। जबकि पुलिस कर्मियों को ए०सी०पी० का लाभ देने का प्रावधान है,	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के पुलिस कर्मियों को ए०सी०पी० द्वारा वित्तीय लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अर्हतापूर्ण करने वाले पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को नियमानुसार ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–01/2024–.....1130./ राँची, दिनांक– 25/02/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2658, दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(27)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं० अ०सू० 22 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि डिप्लोमा स्तरी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2021 में ही JSSC द्वारा पूर्ण कर लिया जाना था परन्तु पेपर लीक की घटना से Exam रद्द कर दी गई ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित Examination को Extend कर 1560 पदों के विरूद्ध दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को आयोजित JSSC द्वारा कराई गई जबकि इससे पूर्व स्थानीय नियोजन नीति के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई ;	स्वीकारात्मक। याचिका संख्या W.P. (C) No 3894/2021 रमेश हॉसदा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2022 को पारित अंतिम न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 604 दिनांक 30.01.2023 के आलोक में डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2022 को रद्द किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित एक ही परीक्षा तीन बार आयोजित करने से अभ्यर्थियों का उम्र पैसा एवं समय बर्बाद होता है तथा खण्ड–2 में वर्णित Examination का Result 4 माह बीत जाने के बाद भी JSSC द्वारा जारी नहीं की जा रही है जिससे ONLINE TCS प्रणाली संदेह के घेरे में है तथा अभ्यर्थी हताश व चिंतित है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । झारखण्ड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2023 अंतर्गत लिखित परीक्षा के आयोजन के क्रम में अपरिहार्य कारणों से राँची स्थित सिर्फ एक परीक्षा केन्द्र मेसर्स शिवा इंफोटेक में रद्द की गई थी एवं उक्त रद्द परीक्षा पुन आयोजित कर ली गई है। साथ ही संबंधित मामले में सदर थाना, राँची अंतर्गत काण्ड संख्या 495/2023 दिनांक 22.11.2023 अन्तर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड विधान एवं झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के अधीन आयोग द्वारा प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। परीक्षाफल के प्रकाशन के संदर्भ में आयोग के समीक्षोपरांत समीचीन निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं0 1673 दिनांक 20.03.2023 के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2023 में प्रकाशित किये जाने वाले सभी विज्ञापनों से आच्छादित पदों के लिए अभ्यर्थियों के अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु 04 (चार) वर्ष की छूट अर्थात संदर्भ तिथि 01.08.2019 निर्धारित की गई है तथा उक्त पत्र के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्व के प्रकाशित विज्ञापन से आच्छादित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क जमा करने से विमुक्त किया गया है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार परीक्षा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आसन्न General Election की Code of Conduct लागु होने के पहले वितरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर के खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :–11/वि०स०–06–05/2024 का० 1409 /राँची दिनांक :– 25/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० 2779 दिनांक 21.02.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अमर कुमार, संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/2024

सरकार के उप सचिव

(28)

श्री मनीष जासवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2024 को पूछा जाने वाला प्रश्न सं०–अ०सू०–24 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में मनरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर नियुक्त कर्मियों की मृत्यु पर सरकार द्वारा 05 लाख रूपये मुआवजा राशि देने का प्रावधान की गई है जबकि राज्य में मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्रियों, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों एवं विधायकों तथा सभापतियों के निजी स्थापना में नियुक्त बाह्य कोटि के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों सहित राज्य के कई अन्य विभागों में वर्षो से संविदा पर नियुक्त कर्मियों की मृत्यु होने पर उनकि आश्रितों को किसी प्रकार की कोई मुआवजा राशि देने का प्रावधान नहीं है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में खण्ड–01 में वर्णित सभी उक्त पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों की सेवा एक निर्धारित समय–सीमा के लिए ही सुनिश्चित रहने के बावजूद सरकार उक्त पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों से कार्य जो लेती है, परन्तु सम्बंधित विभागीय लापरवाही में उक्त सेवा से संबंधित राज्य में अबतक नियमावली का गठन नहीं हुई है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में मनरेगा कर्मियों की तर्ज पर खण्ड–01 में वर्णित अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों की मृत्यु होने पर उनकि आश्रितों को भी 05 लाख रूपये का मुआवजा राशि देने के साथ–साथ उक्त नियमावली के गठन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड–01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

ज्ञापांक – *सी०एस०–01/विधान सभा–01/2022* 339 / रांची, दिनांक 24 फरवरी, 2024 ई०।

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक–2786, दिनांक–21.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2024

(अखलेश कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव